

मुकदमों का विवरण

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम

रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2022 का विविध आवेदन संख्या 1735)

(सिविल अपील सं. 2020 की 1902) अक्टूबर 04, 2023

[अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: आवेदक-नीलामी खरीदार ने अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ उसके पक्ष में बिक्री पत्र जारी करने के लिए इस आधार पर निर्देश देने की मांग की कि उसने इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के अनुसार ब्याज के साथ नीलामी राशि का पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है। क्या विभिन्न आवेदनों में आवेदक द्वारा मांगे गए समय का विस्तार अनुमेय था और भले ही अनुमेय हो, क्या आवेदक ने वास्तव में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया था।

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 -आर. 9-"बिक्री का समय, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना और कब्जे की डिलीवरी आदि", ई-नीलामी मोड के माध्यम से अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री से-गैर-अनुपालन-तत्काल विविध आवेदन के माध्यम से सिविल अपील का निपटारा किया गया, आवेदक-नीलामी खरीदार ने बैंक को उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश मांगे-रखरखाव-आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया कि उसके द्वारा 22.07.2022 और 26.08.2022 पर की गई जमा राशि को दिनांक 12.05.2020 के आदेश का उचित अनुपालन माना जाए, अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके समय सीमा बढ़ाई जाए:

आयोजित किया गया: आर के उप-नियम (4) के अनुसार। 9, देय खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान खरीदार द्वारा अधिकृत अधिकारी को बिक्री के समापन के पंद्रहवें दिन या उससे पहले या इस तरह के विस्तारित 667 पर किया जाना है।

666

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

अवधि जिस पर खरीदार और सुरक्षित लेनदार के बीच लिखित रूप में सहमति हो सकती है, किसी भी मामले में तीन महीने का विस्तार नहीं किया जा सकता है-भले ही उक्त उप नियम

के उदार निर्माण से, और आवेदक के नेतृत्व में क्रमिक आवेदनों में समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए, यह माना जाता है कि ब्याज के साथ शेष राशि जमा करने का समय फरवरी, 2022 के बाद दो महीने बढ़ा दिया गया था, यानी 30.04.2022 तक, न्यायालय द्वारा न तो समय का और विस्तार दिया गया था और न ही आर में निहित उक्त वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत इसे बढ़ाने की अनुमति थी।⁹ – इस तथ्य के अलावा कि आवेदक ने अपने नेतृत्व में लगातार आवेदनों में समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं किया था, और विशेष रूप से 2020 के एम. ए. आई. डी. 2 में पारित आदेश, 2020 के सी. ए. आई. डी. 3 के निपटारे में इस तरह का आवेदन, अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाने और मूल कार्यवाहियों में न्यायिक निर्णय से बचने के लिए, बनाए रखने योग्य भी नहीं होगा-न्यायालय /अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विषय से निपटने वाले किसी भी ठोस वैधानिक प्रावधान की अनदेखी नहीं कर सकता है-सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्तियां/अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रकृति में अंतर्निहित हैं और उन शक्तियों के पूरक हैं जो विभिन्न विधि ों द्वारा अदालत को विशिष्ट रूप से प्रदान की जाती हैं -[पारस 17-19]

अभ्यास और प्रक्रिया-किसी भी कानूनी आधार के बिना, विविध आवेदनों के रूप में शैली में बार-बार आवेदन दाखिल करना-अस्वीकृत।[पैरा **18**]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सुप्रीम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य

(1998) 4 एससीसी 409:[1999] 1 एससीआर 1121; सुपरटेक लिमिटेड बनाम एमराल्ड

न्यायालय ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन

एससी 3422-पर भरोसा किया।

राव शिव बहादुर सिंह और एक अन्य बनाम। विंध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 322:[1954] एससीआर 1098; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा

668 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

सिंह और अन्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 358; बाबू वर्गीज और अन्य बनाम बार

केरल और अन्य परिषद (1999) 3 एस. सी. सी. 422:[1999] 1 एस. सी. आर. 1121;- संदर्भित।

टेलर बनाम। टेलर, [एल. आर.] 1 Ch.426-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2020 की सिविल अपील No.1902 में 2022 का विविध आवेदन No.1735।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2020 के सी. ए. No.1902 में दिनांकित 02.03.2020 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

ओ. पी. गग्गर, सचिंद्र कर्ण, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

दुष्यंत ए. दवे, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, ऋषि सहगल, सुश्री अरवीन सेखों, निखिल जैन, संदीप कुमार महापात्रा, सुश्री मृण्मयी साहू, सुश्री कृतिका शर्मा, सुगम कुमार। झा, सुश्री ओशीन वर्मा, बीरेंद्र कुमार मिश्रा, सुश्री पूनम एटे, सनथ पाराशर, हेमरद्र कुमार, सिराजुद्दीन, जे. सी. गुप्ता, धैर्य बी. एम. वेरेंकर, चेतन पाठक, सुश्री स्मृति वर्मा, आदित्य के. चौधरी, गुरमेहर वान सिंह, राजा चौधरी, राजेश सिंह चौहान, सिद्धार्थ सिन्हा, तुषार सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. 2022 का एम. ए. No.1735 2020 की सिविल अपील No.1902 (2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.28608 से उत्पन्न) में आवेदक (मूल उत्तरदाता No.6-M/s) के नेतृत्व में है।सनव्यू एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (मूल अपीलकर्ता) को घर संख्या 7, सर्वेक्षण संख्या 7 वाली संपत्ति के संबंध में आवेदक के पक्ष में बिक्री पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की। पुराना 168 और 169 (नया No.306 &307) गाँव पलासियाना, मनोरमागंक, तहसील और जिला इंदौर का 109754 वर्ग कि. मी. एफ. टी. (2.18 एकड़) (इसके बाद 'विषय संपत्ति' के रूप में संदर्भित) इस आधार पर कि आवेदक/नीलामी खरीदार ने 669 का पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 670

2020 के एम. ए. No.922 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 12.05.2020 आदेश के संदर्भ में ब्याज के साथ नीलामी राशि।

2. पक्षकारों के बीच लंबे समय तक चले मुकदमे के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

(i) 2020 की सिविल अपील में अपीलार्थी एक बैंक है, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है। प्रतिवादी No.1-Rajat इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने विषय संपत्ति का मालिक होने का दावा किया, प्रतिवादी No.2-Manindra चंद्रसेन और प्रतिवादी No.3-Sharad चंद्रसेन ने विषय संपत्ति के कब्जे में होने का दावा किया, प्रतिवादी No.4-Zoom डेवलपर्स प्राइवेट

लिमिटेड और प्रतिवादी No.5-Zoom वल्लभ स्टील लिमिटेड उधारकर्ता थे। अपीलार्थी बैंक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 को दी गई ऋण सुविधाओं/ऋण को सुरक्षित करने के लिए, 15.04.2005 पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी बैंक को विषय संपत्ति में अपना ब्याज गिरवी रखा था।

((ii) प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 अपीलार्थी बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं/ऋण का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद 'सरफेसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही अपीलार्थी बैंक द्वारा उसके साथ गिरवी रखी गई विषय संपत्ति के संबंध में शुरू की गई थी।

((iii) ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) और बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच कुछ कार्यवाही होने के बाद, अपीलार्थी ने (आई. डी. 2) पर एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत उक्त संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसमें (आई. डी. 1) पर नीलामी बिक्री का समय निर्धारित किया गया था।

((iv) प्रत्यर्थी सं॥1-रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर ने डी. आर. टी. के समक्ष 30.06.2019 पर 2019 के प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 115 को प्राथमिकता दी, ताकि अपीलकर्ता बैंक को इस आधार पर विषय संपत्ति के संबंध में बिक्री की बिक्री और विश्वास सहित कोई भी आगे का कदम उठाने से रोका जा सके कि बैंक-सुरक्षित लेनदार संपत्ति का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 (संक्षेप में, 'उक्त नियम') के नियम 8 के उप नियम (5) के अंतर्गत विचार के अनुसार नीलामी बिक्री के साथ आगे बढ़ने से पहले विषय संपत्ति।

(v) 2019 के उक्त प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 115 में, प्रत्यर्थी संख्या 11 रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर ने 2019 का एक अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 822 भी दायर किया था, जिसमें अपीलकर्ता बैंक को प्रस्तावित नीलामी बिक्री के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई थी। डी. आर. टी. मुंबई ने दिनांकित 11.11.2019 आदेश के माध्यम से विज्ञापन अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया जैसा कि 2019 के आई. ए. संख्या 822 में अनुरोध किया गया था।

(vi) प्रत्यर्थी सं॥1 डी. आर. टी. द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, एक रिट याचिका (2019 का एस. टी. No.29319) को प्राथमिकता दी गई। बॉम्बे हाई न्यायालय ने दिनांकित 25.11.2019 आदेश के माध्यम से प्रतिवादी नं.1 ऋण वसूली अपीलार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के वैधानिक उपचार के लिए (संक्षेप में 'डी. आर. ए. टी.').

उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह कहा गया था कि:- “याचिकाकर्ता के पास विद्वान डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है, जहां किसी पूर्व-जमा की आवश्यकता नहीं है।” (vii) उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त रिट याचिका लंबित होने पर, नीलामी होने के बाद, प्रत्यर्थी सं।6 मेसर्स सनव्यू एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड (इसमें आवेदक) ने रुपये की राशि के लिए सबसे अधिक बोली लगाने का दावा किया। 65.62 करोड़। इसलिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांकित 20.11.2019 आदेश के माध्यम से प्रतिवादी नं.6 उक्त रिट याचिका में शामिल किया जाए।

(viii) प्रत्यर्थी सं।6, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटारा करने पर यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी नं.1 डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय था, जहां किसी पूर्व-जमा की आवश्यकता नहीं थी, उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका का नेतृत्व किया था। उक्त समीक्षा याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 16.12.2019 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

(ix) अपीलार्थी बैंक, पूर्व-जमा के संबंध में दिनांक 25.11.2019 के आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से व्यथित होने के कारण, सिविल अपील No.1902 671 को प्राथमिकता दी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 672

2020 का (2019 के एस. एल. पी. (सी) No.28608 से उत्पन्न), और प्रत्यर्थी सं.6 अपनी समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से भी व्यथित होने के कारण, इस न्यायालय के समक्ष 2020 की सिविल अपील (2020 की एसएलपी (सी) No.1753 से उत्पन्न) के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी गई।

(x) इस न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय और दिनांक 02.03.2020 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.11.2019 और 16.12.2019 के आदेशों अपास्त करते हुए ते हुए दोनों उक्त अपीलों को अनुज्ञात, जहां तक यह देखा गया था कि इसमें पूर्व-जमा की आवश्यकता नहीं थी। सटीक रूप से, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“11. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.11.2019 और 16.12.2019 दोनों आदेशों को तब तक दरकिनार कर देते हैं जब तक कि उनका मानना है कि पूर्व-जमा की आवश्यकता नहीं है और अपीलों की अनुमति देते हैं। हम दोहराते हैं कि हम पक्षों द्वारा उठाई गई दलीलों के गुण-दोष में नहीं गए हैं, जिनका निर्णय डी. आर. ए. टी. द्वारा तब किया जाएगा जब वह अपील को स्वीकार करेगा और ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। हम नीलामी खरीदारों को दिए गए समय को बढ़ाते हैं, प्रत्यर्थी नं.6 बिक्री राशि की शेष राशि 20.03.2020 तक जमा करने के लिए। हम यह भी निर्देश देते हैं

कि मामले में प्रतिवादी नं।1 यदि इस आदेश की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अपील की जाती है तो इसे सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। "

न्यायालय द्वारा 04.03.2020 पर कुछ सुधारों का निर्देश देते हुए एक शुद्धिपत्र आदेश पारित किया गया था।

(xi) आवेदक-नीलामी खरीदार ने 2020 की सिविल अपील के उक्त निपटारे में 2020 की एम. ए. No.894 को प्राथमिकता दी, जिसमें इस आधार पर Rs.49,21,50,000-(केवल उनतालीस करोड़ एकतीस लाख पचास हजार रुपये) के शेष बिक्री मूल्य के भुगतान के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई कि कोविड-19 महामारी के कारण आवेदक आवश्यक शेष बिक्री मूल्य नहीं बढ़ा सका। न्यायालय ने दिनांक 20.03.2020 के आदेश के माध्यम से 30.04.2020 द्वारा शेष बिक्री विचार जमा करने के लिए समय बढ़ाने की अनुज्ञात , आगे यह देखते हुए कि:-

“आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। "

/

[2023] 14 एस सी आर।

(xii) 2020 का एक और एम. ए. No.922 आवेदक/नीलामी खरीदार द्वारा इस आधार पर समय बढ़ाने की मांग करते हुए दायर किया गया कि महामारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस न्यायालय ने कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन पर विचार करते हुए दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से लॉकडाउन हटाने के बाद शेष राशि जमा करने का समय दो महीने तक बढ़ा दिया। उक्त आदेश में न्यायालय ने आवेदक को 20.03.2020 से जमा करने की तारीख तक की अवधि के लिए उधार दर पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

(xiii) आवेदक ने 30.03.2021 पर रु. 4,80,00,000/- (चार करोड़ और अस्सी लाख रुपये), 21.08.2021 पर रु. 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये) और 15.03.2022 पर रु. 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये) जमा किए।

(xiv) आवेदक ने फिर से 2022 के एम. ए. <आई. डी. 2 का नेतृत्व किया और Rs.34,41,50,000-(केवल चालीस करोड़ चालीस लाख पचास हजार रुपये) की शेष राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की।

(xv) प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात्, रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इसलिए 2020 के एम. ए. No.922 में न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 12.05.2020 आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए 2022 के एम. ए. No.1164 का नेतृत्व किया और अपीलकर्ता बैंक के खिलाफ एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश मांगे। उक्त आवेदन में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी-बैंक और आवेदक मेसर्स सनव्यू एसेट्स

प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, मिलीभगत और साजिश का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की भी मांग की थी।

(xvi) 11.07.2022 पर, न्यायालय ने उक्त आवेदनों में मामले को 26.07.2022 पर सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और कहा:

“जैसा कि वर्तमान में, हमने कोई आदेश पारित नहीं किया है, चाहे वह समय बढ़ाने की प्रार्थना पर हो, जैसा कि प्रत्यर्थी नं।6 या किसी अन्य विस्तार को मंजूरी नहीं देने के लिए दूसरी प्रार्थना पर, हम अभी भी इसे 673 के लिए खुला छोड़ते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 674

उत्तरदाता नं।6 अगली तारीख से पहले आवश्यक भुगतान करने के लिए। हम अभी और कुछ नहीं देख रहे हैं। ”

(xvii) 11.07.2022 पर न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को देखते हुए, आवेदक ने 22.07.2022 पर बैंक के साथ कुल नीलामी खरीद मूल्य का 1 प्रतिशत टी. डी. एस. काटने के बाद Rs.34,41,50,000-(केवल चौतीस करोड़ इकतालीस लाख पचास हजार रुपये) की अतिरिक्त राशि जमा की।

(xviii) इसके बाद आवेदक (मूल उत्तरदाता संख्या 6) ने 2022 के आई. ए. No.107669 के रूप में एक आवेदन का नेतृत्व किया, जिसमें ब्याज राशि को माफ करने या कम करने का अनुरोध किया गया, जैसा कि पहले दिनांकित 12.05.2020 आदेश में निर्देश दिया गया था। हालाँकि, 10.08.2022 पर सुनवाई के दौरान, आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उक्त आई. ए. के लिए दबाव नहीं डाला और प्रस्तुत किया कि आवेदक बैंक को ब्याज की आवश्यक राशि का भुगतान करेगा। उन्होंने 2022 के एम. ए. No.1126 के लिए भी दबाव नहीं डाला। प्रत्यर्थी संख्या 1-रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर से पेश विद्वान वकील ने भी 2022 के एम. ए. No.1164 के लिए दबाव नहीं डाला, हालाँकि, विधि के अनुसार अन्य उपयुक्त उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता मांगी। न्यायालय ने संबंधित पक्षों की दलीलों पर ध्यान देते हुए 10.08.2022 पर आदेश पारित किया।

“..... हमने इस संबंध में केवल संबंधित पक्षों की दलीलों पर ध्यान दिया है और प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह देखने की आवश्यकता है कि 2022 की एम. ए. संख्या 1126 के निपटारे के साथ, इस मामले में लंबित आवेदनों पर आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उन्हें इस तरह से निपटाया जाता है।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि अन्य लंबित मामलों को उनके गुण-दोष के आधार पर और सख्ती से विधि के अनुसार निपटाया जाएगा।

हस्तक्षेप के लिए अन्य आवेदन, हस्तक्षेप के लिए अनुमति के लिए आवेदन (2022 का आई. ए. No.100718 और 2022 का आई. ए. No.10713) के साथ-साथ हस्तक्षेप के लिए आवेदन

/

[2023] 14 एस सी आर।

2022 का आई. ए. No.100735 होने के निर्देश को भी अनावश्यक बना दिया गया है और इस तरह से निपटाया जा सकता है। "

(xix) इसके बाद आवेदक/नीलामी खरीदार ने ब्याज राशि के लिए अपीलार्थी बैंक में रु. 7,17,02,859.45-(सात करोड़ सत्रह लाख दो हजार आठ सौ पचास-नौ और पैतालीस पैसे) की राशि जमा की। अपीलार्थी बैंक ने 26.08.2022 दिनांकित पत्र के माध्यम से उक्त राशि की प्राप्ति को स्वीकार किया।

3. आवेदक (मूल प्रतिवादी सं।6 2020 के सी. ए. सं. 1902 में) अब एफ. आई. ने 2022 के तत्काल एम. ए. No.1735 का नेतृत्व किया है, जिसमें ऊपर बताए गए निर्देशों की मांग की गई है। प्रत्यर्थियों ने अपने-अपने जवाबों में आवेदन का विरोध किया है। उत्तरदाता नं.1 रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि सिविल अपील के निपटारे में विविध आवेदन, जिसमें बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बैंक को निर्देश देने की मांग की गई है, बनाए रखने योग्य नहीं है, विशेष रूप से जब आवेदक समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने में विफल रहा है और जब आवेदक ने उक्त नियमों के नियम 9 में निहित प्रावधानों का भी पालन नहीं किया है। उत्तरदाता नं.1 उसने आवेदक और अपीलार्थी बैंक के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। अन्य उत्तरदाताओं नं.2 5 ने भी प्रतिवादी सं. द्वारा उठाए गए तर्कों का व्यापक रूप से समर्थन किया है। 1. अपीलार्थी बैंक ने दिनांकित 06.08.2022 (एम. ए. पेपर बुक का अनुलग्नक ए 7) की स्थिति रिपोर्ट के संबंध में अपने पहले के ए. एफ. आई. डी. आई. पर भरोसा करते हुए 23.11.2022 पर जवाब में ए. एफ. आई. डी. आई. का नेतृत्व किया है। यह तर्क दिया गया है कि भले ही लॉकडाउन को फरवरी 2022 के अंत तक लागू माना जाता था, फिर भी अदालत के आदेश दिनांक 12.05.2020 के अनुसार पूरा भुगतान 30.04.2022 पर या उससे पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

4. यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है कि महाराष्ट्र राज्य में किस विशेष तिथि को लॉकडाउन हटाया गया था। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा 2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सी) No.03 में पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इस न्यायालय सहित न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष सभी कार्यवाही में सीमा की अवधि बढ़ाने के लिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि जब भी कार्यवाही में समय सीमा समाप्त

होने वाली थी, उसे फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया था, और इसलिए तत्काल मामले में,
675

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 676

आवेदक को फरवरी 2022 के दो महीने बाद, यानी 30.04.2022 पर या उससे पहले, इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 12.05.2020 आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार राशि जमा करने की आवश्यकता थी।

5. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार करने से पहले, आवेदक के पक्ष में बिक्री पत्र जारी करने के लिए अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ निर्देश मांगने वाले तत्काल विविध आवेदन की स्थिरता के संबंध में, आइए हम पहले इस मुद्दे को संबोधित करें कि क्या आवेदक द्वारा क्रमिक आवेदनों में समय का विस्तार विधि की नजर में अनुमेय था, और भले ही अनुमेय हो, क्या आवेदक ने वास्तव में उक्त आवेदनों में समय-समय पर न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया था।

6. इस समय, ई-नीलामी के माध्यम से अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में उक्त नियमों के नियम 9 का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा, जो "बिक्री का समय, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जे की डिलीवरी आदि" से संबंधित है। नियमों का नियम 9 इस प्रकार है:- "9. बिक्री का समय, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना और कब्जे की डिलीवरी आदि।-

[(1) इन नियमों के अंतर्गत अचल संपत्ति की कोई भी बिक्री, पहली बार में, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले नहीं होगी जिस दिन बिक्री की सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है जैसा कि नियम 8 के उप-नियम (6) के परंतुक में संदर्भित है या उधारकर्ता को बिक्री की सूचना दी गई है:

बशर्ते कि यदि नियम 8 के उप-नियम (5) द्वारा निर्दिष्ट विधियों में से किसी एक द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री विफल हो जाती है और फिर से बिक्री की आवश्यकता होती है, तो अधिकृत अधिकारी किसी भी बाद की बिक्री के लिए उधारकर्ता को कम से कम पंद्रह दिनों की बिक्री की सूचना जारी करेगा।]

(2) बिक्री उस खरीदार के पक्ष में की जाएगी जिसने अपनी बोली या निविदा या उद्धरण में उच्चतम बिक्री मूल्य दिया है या अधिकृत अधिकारी को दिया है और यह सुरक्षित लेनदार द्वारा स्वीकार किए जाने के अधीन होगी:

बशर्ते कि इस नियम के अंतर्गत कोई भी बिक्री नहीं की जाएगी, यदि बिक्री मूल्य द्वारा प्राप्त राशि आरक्षित मूल्य से कम है, तो [नियम 8] के उप-नियम (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जाएगी:

[2023] 14 एस सी आर।

बशर्ते कि यदि अधिकृत अधिकारी आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह उधारकर्ता और सुरक्षित लेनदार की सहमति से ऐसी कीमत पर बिक्री कर सकता है।

[(3) अचल संपत्ति की प्रत्येक बिक्री पर, खरीदार तुरंत, यानी, उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद, बिक्री मूल्य की राशि का बीस प्रतिशत जमा करेगा, जिसमें बिक्री का संचालन करने वाले अधिकृत अधिकारी को जमा की गई बकाया राशि, यदि कोई हो, शामिल है और ऐसी जमा राशि की चूक में, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।]

(4) देय खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान खरीदार द्वारा अधिकृत अधिकारी को अचल संपत्ति की बिक्री के समापन के पंद्रहवें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि (जिस पर खरीदार और सुरक्षित लेनदार के बीच लिखित रूप में सहमति हो, किसी भी मामले में तीन महीने से अधिक नहीं) का भुगतान किया जाएगा।

(5) उप-नियम (4) में उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान की चूक में, जमा राशि [सुरक्षित लेनदार को] जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा और चूक करने वाला खरीदार संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावे को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

(6) सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि होने पर और यदि भुगतान की शर्तों का पालन किया गया है, तो बिक्री की शक्ति का प्रयोग करने वाला अधिकृत अधिकारी इन नियमों के परिशिष्ट V में दिए गए प्रपत्र में खरीदार के पक्ष में अचल संपत्ति की बिक्री का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(7) जहां बेची गई अचल संपत्ति किसी भी बोझ के अधीन है, अधिकृत अधिकारी, यदि वह ऐसा सोचता है, तो खरीदार को बोझ और उस पर देय किसी भी ब्याज के निर्वहन के लिए आवश्यक धन को ऐसी अतिरिक्त राशि के साथ जमा करने की अनुमति दे सकता है जो आकस्मिकताओं या आगे की लागत, खर्च और ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो जो उसके द्वारा निर्धारित किया जा सके:

[बशर्ते कि यदि बोझ और आकस्मिकताओं को दूर करने की लागत को पूरा करने के बाद खरीदार द्वारा जमा किए गए धन में से कोई अधिशेष उपलब्ध है तो इस तरह के अधिशेष का भुगतान बिक्री के निष्पादन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर खरीदार को किया जाएगा।]

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 678

(8) बोझ के निर्वहन के लिए धन की ऐसी जमा राशि पर, अधिकृत अधिकारी खरीदार को अपने पास जमा किए गए धन में रुचि रखने वाले या उसके हकदार व्यक्तियों को नोटिस जारी करने के लिए प्रेरित करेगा और तदनुसार भुगतान करने के लिए कदम उठाएगा।

(9) अधिकृत अधिकारी ऊपर उप-नियम (7) में निर्दिष्ट धन जमा करने पर सुरक्षित लेनदार को ज्ञात बोझ से निशुल्क खरीददार को संपत्ति वितरित करेगा।

(10) उप-नियम (6) के अंतर्गत जारी बिक्री प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि क्या खरीदार ने अचल सुरक्षित संपत्ति को सुरक्षित लेनदार को ज्ञात किसी भी बोझ से निशुल्क खरीदा है या नहीं। "

7. नियम 9 के पूर्व-वर्णित उप-नियम (4) से स्पष्ट है कि खरीदार द्वारा अधिकृत अधिकारी को देय खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान अचल संपत्ति की बिक्री के समापन के पंद्रहवें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि में किया जाना चाहिए जिस पर खरीदार और सुरक्षित लेनदार के बीच लिखित रूप में सहमति हो, किसी भी मामले में तीन महीने से अधिक नहीं। इसके उप-नियम (5) में कहा गया है कि उप-नियम (4) में उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान की चूक में, जमा को सुरक्षित लेनदार को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा, और यह कि चूक करने वाला खरीदार संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावे को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। इसके उप-नियम (6) के अनुसार, सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि होने पर और यदि भुगतान की शर्तों का पालन किया गया है, तो बिक्री की शक्ति का प्रयोग करने वाला अधिकृत अधिकारी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में खरीदार के पक्ष में अचल संपत्ति की बिक्री का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

8. अब, यह विधि का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि जब किसी क़ानून में किसी विशेष चीज़ को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो इसे उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं, और प्रदर्शन के अन्य तरीकों को अनिवार्य रूप से निषिद्ध किया जाता है।¹¹

1 टेलर बनाम। टेलर, [एल. आर.] **1 Ch.426** राव शिव में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित

बहादुर सिंह और एक अन्य बनाम। विंध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. **1954** एस. सी. **322**; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह और अन्य ए. आई. आर. **1964** एस. सी. **358** और बाबू वर्गीज और अन्य बनाम केरल बार काउंसिल और अन्य (**1999**) **3** एस. सी. सी. **422**।

/

9. तत्काल मामले में, कुल बोली राशि में से रु। 65.62 नीलामी बिक्री की तारीख यानी 11.11.2019 को शुद्ध किए गए करोड़, आवेदक ने केवल बैंक में Rs.31,20,50,000- (इकतीस करोड़ बीस लाख पचास हजार रुपये) की राशि जमा की थी और शेष राशि को बैंक के अधिकृत अधिकारी के पास विषय संपत्ति की बिक्री के समापन के पंद्रहवें दिन या उससे पहले, यानी उक्त नियमों के नियम 9 (4) के अनुसार <ID3 पर या उससे पहले जमा करने की आवश्यकता थी। तथापि, इस न्यायालय ने 2020 की उक्त सिविल अपील संख्या 1902 और 1903 का निपटान करते हुए दिनांक 02.03.2020 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 6 (यहाँ आवेदक) को 20.03.2020 तक बिक्री राशि की शेष राशि जमा करने की अनुमति दी। 10. ऊपर बताई गई घटनाओं के कालक्रम के अनुसार, आवेदक ने 20.03.2020 पर या उससे पहले शेष बिक्री राशि जमा नहीं की थी। इसके बाद, कोविड-19 के कारण का अनुमान लगाते हुए आवेदक ने 2020 के एम. ए. No.894 के माध्यम से शेष बिक्री मूल्य के भुगतान के लिए समय बढ़ाने की मांग की। न्यायालय ने 20.03.2020 के आदेश के माध्यम से, तारीख को 30.04.2020 तक बढ़ा दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

11. फिर से, आवेदक ने 2020 के एक और एम. ए. No.922 का नेतृत्व किया और इस आधार पर समय बढ़ाने की मांग की कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, और न्यायालय ने 12.05.2020 पर एक आदेश पारित किया, जिसमें शेष राशि जमा करने का समय लॉकडाउन हटाने के बाद दो महीने तक बढ़ा दिया गया। उक्त आदेश में, न्यायालय ने आवेदक को 20.03.2020 से जमा करने की तारीख तक की अवधि के लिए उधार दर पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

12. हालांकि, आवेदक ने ब्याज के साथ पूरी शेष राशि (जो संबंधित समय में पचास करोड़ रुपये से अधिक अर्जित हुई थी) की उक्त जमा राशि जमा करने के बजाय रु। 30.03.2021 पर 4,80,00,000/- (चार करोड़ अस्सी लाख रुपये), 21.08.2021 पर 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये) और 15.03.2022 पर अन्य. 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये)।

13. इसके बाद आवेदक ने शेष राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए 2022 का एम. ए. No.1126 बनाया। उक्त आवेदन का अपीलकर्ता बैंक और अन्य प्रत्यर्थियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था और इसलिए, न्यायालय ने 26.07.2022 पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि "न्यायालय ने या तो प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था या समय बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया था, हालांकि, यह 679 रह गया था।

यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 680

आवेदक के लिए खुला-प्रतिवादी सं। 6 अगली तारीख से पहले आवश्यक भुगतान करना। "

14. इसके बाद आवेदक ने कुल नीलामी खरीद मूल्य का 1 प्रतिशत टी. डी. एस. काटने के बाद बैंक में <आई. डी. 1 पर Rs.33,75,88,000-(तैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) की राशि जमा की। इसके बाद आवेदक ने बैंक में 26.08.2022 पर ब्याज राशि के लिए रु. 7,17,02,859.45-(सात करोड़ सत्रह लाख दो हजार आठ सौ पचास नौ और पैंतालीस पैसे) जमा किए।

15. पूर्व-वर्णित स्थिति से, यह प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांकित 12.05.2020 आदेश के माध्यम से दिए गए समय का विस्तार, जो स्वयं-सीमित था, अपीलकर्ता बैंक के संस्करण के अनुसार कम से कम 30.04.2022 द्वारा समाप्त या समाप्त हो गया था। इसके बाद, न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समय सीमा बढ़ाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। विशेष रूप से, आवेदक मेसर्स सनव्यू एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कैसे Rs.34,41,50,000-22.07.2022 पर जमा और 7,17,02,859.45-26.08.2022 पर-अपीलकर्ता बैंक के साथ जमा किए गए रुपये समय-समय पर न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और विशेष रूप से 12.05.2020 के आदेश के उचित अनुपालन में थे। जब न्यायालय ने लॉकडाउन हटाने के बाद दो महीने तक शेष राशि जमा करने और जमा करने की तारीख तक की अवधि के लिए ऋण दर पर ब्याज का भुगतान करने का समय बढ़ाने का आदेश पारित किया था, तो आवेदक की ओर से यह बताना अनिवार्य था कि वास्तव में लॉकडाउन कब हटाया गया था, प्रासंगिक समय पर ब्याज की ऋण दर क्या थी, और आवेदक को शेष बिक्री मूल्य और जमा होने तक की अवधि के लिए ब्याज के लिए कितनी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता थी।

16. भले ही इस न्यायालय द्वारा 2020 की स्वतः संज्ञान याचिका (सी) संख्या 3 में पारित आदेशों पर विचार करते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण सीमा की अवधि फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई थी, फिर भी आवेदक को इस न्यायालय द्वारा 2020 के एम. ए. <आई. डी. 2 में 12.05.2020 पर पारित आदेश के अनुसार दो महीने के भीतर ब्याज के साथ पूरी शेष राशि जमा करने की आवश्यकता थी, जिसका आवेदक पालन करने में विफल रहा था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

17. आवेदक के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे का यह निवेदन कि इस न्यायालय को आवेदक द्वारा 22.07.2022 और 26.08.2022 पर की गई जमा राशि को दिनांकित 12.05.2020 के आदेश का उचित अनुपालन मानना चाहिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के अंतर्गत अदालत को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समय सीमा को बढ़ाना, उक्त नियमों के नियम 9 में निहित वैधानिक प्रावधान को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियम 9 के उप-नियम (4) के अनुसार, देय

खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान खरीदार द्वारा अधिकृत अधिकारी को बिक्री के समापन के पंद्रहवें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि के लिए किया जाना चाहिए जिस पर खरीदार और सुरक्षित लेनदार के बीच लिखित रूप में सहमति हो, किसी भी मामले में तीन महीने की अवधि के बिना। भले ही उक्त उप-नियम के उदार निर्माण से, और आवेदक के नेतृत्व में क्रमिक आवेदनों में इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों को देखते हुए, यह माना जाता है कि ब्याज के साथ शेष राशि जमा करने का समय फरवरी, 2022 के दो महीने बाद बढ़ा दिया गया था, यानी 30.04.2022 तक, न्यायालय द्वारा समय का कोई और विस्तार नहीं दिया गया था और न ही उक्त नियमों के नियम 9 में निहित उक्त वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत इसे बढ़ाने की अनुमति थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय से संबंधित किसी भी ठोस वैधानिक प्रावधान की अनदेखी नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्तियां प्रकृति में निहित हैं और उन शक्तियों के पूरक हैं जो विभिन्न कानूनों द्वारा न्यायालय को विशेष रूप से प्रदान की गई हैं। हालाँकि ये शक्तियाँ पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए बहुत व्यापक हैं, लेकिन इनका उपयोग मामले अंतर्गत लागू मूल विधि या न्यायालय के विचाराधीन कारण को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसा कि देखा जा रहा है

सुप्रीम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य **2,**

अनुच्छेद 142 का उपयोग इसके आयाम की चौड़ाई के साथ भी एक नई इमारत के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है जहां पहले कोई मौजूद नहीं था, किसी विषय से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जिसे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि सी. पी. सी. की धारा 148 भी न्यायालय को न्यायालय द्वारा पहले निर्धारित समय सीमा के तीस दिनों से अधिक समय सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं देती है।

2 (1998) 4 एससीसी 409 681

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. और मेसर्स सनव्यू एसेट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 682

18. यह ध्यान देने योग्य है कि तत्काल विविध आवेदन का नेतृत्व आवेदक ने इस आधार पर बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपीलकर्ता बैंक के खिलाफ ठोस प्रार्थना/निर्देश की मांग करते हुए किया है कि आवेदक ने 2020 के एम. ए. <आई. डी. 2 में पारित आदेश के संदर्भ में ब्याज के साथ नीलामी राशि का पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है। इस तथ्य के अलावा कि आवेदक ने अपने नेतृत्व में लगातार आवेदनों में समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं किया था, और विशेष रूप से 2020 के एम. ए. No.922 में पारित आदेश, 2020 की सिविल अपील No.1902 के निपटारे में इस तरह का आवेदन, अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाने और मूल कार्यवाही में न्यायिक निर्णय से बचने के लिए,

विधि की नजर में भी बनाए रखने योग्य नहीं होगा। इस न्यायालय में बार-बार आवेदनों के इस न्यायालय में बिना किसी कानूनी आधार के विविध आवेदनों के रूप में शैली में उभरने वाली इस तरह की प्रवृत्ति की इस न्यायालय द्वारा सुपरटेक लिमिटेड बनाम एमराल्ड में कड़ी निंदा की गई है।

न्यायालय स्वामी निवासी कल्याण संघ और अन्य **3**, जिसमें यह था

निम्नलिखित रूप में देखा गया:- “विविध आवेदनों के रूप में शैलीबद्ध बार-बार आवेदनों की इस न्यायालय में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आई है, जिसे एक वित्तीय निर्णय घोषित किए जाने के बाद दायर किया जा रहा है। इस तरह की प्रथा का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यह मुकदमेबाजी को एक जुआ में बदल देता है। न्यायिक निर्णयों के अनुपालन से बचने के लिए रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों वाले लोगों के लिए विविध आवेदन एक पसंदीदा पाठ्यक्रम बन रहे हैं। एक बार निर्णय सुनाए जाने के बाद एक न्यायिक घोषणा संशोधन के अधीन नहीं हो सकती है, एक विविध आवेदन द्वारा। किसी निर्णय में संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग करने वाले विविध आवेदन को दायर करने की विधि में परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि कोई अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता जो कोई सीधे नहीं कर सकता है।

19. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1-रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने डी. आर. ए. टी. के समक्ष सिविल अपील 02.03.2020 पर 2020 के सिविल अपील No.1902 में पारित आदेश को देखते हुए किसी भी अपील को प्राथमिकता दी थी, और यदि पसंद किया जाता है कि क्या वह लंबित है या नहीं। फि नाल के बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है।

3 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 3422

/

[2023] 14 एस सी आर।

डी. आर. टी. के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा पसंद किए गए मुख्य सुरक्षा आवेदन का परिणाम। जो भी हो, 2020 की सिविल अपील के कथित निपटारे के कारण मूल प्रार्थनाओं की मांग करने वाले तत्काल विविध आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। तथापि हम स्पष्ट कर सकते हैं कि आवेदक के लिए यह खुला होगा कि वह वर्तमान आवेदन में मांगी गई प्रार्थनाओं के लिए विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय किसी भी अन्य उपाय का सहारा ले या अपीलार्थी-बैंक में जमा की गई राशि की वापसी की मांग करने वाली उचित कार्यवाही करे, जो विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय हो। 20. मामले के उस दृष्टिकोण में, 2022 का विविध आवेदन No.1735 खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

एम. ए. बर्खास्त।

दिव्या पांडे